	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 9, सोमवार, शाके 1944-मई 30, 2022 Jyaistha 9, Monday , Saka 1944- May 30, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 20, 2022

संख्या एफ.4(44)/कृषि (ग्रुप-2)/2019 :-इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.12.2019 से जारी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2019 में लोक हित में राज्य सरकार द्वारा निम्न संशोधन किये जाते हैः-

मद संख्या 4 (अ) के पश्चात एवं 4 (ब) से पूर्व निम्न अभिव्यक्ति जोडी जाती है-

" 4 (अ) (अ) बजट 2022-23 मे घोषित राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अन्तर्गत मिलेट्स प्रसंस्करण इकाईयों के लिए अनुदान- (1) मिलेट्स प्रसंस्करण प्रोत्साहन मिशन के अन्तर्गत स्थापित होने वाली प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाईयों को पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख़ रू. प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा।

परन्तु परियोजना जिनमें 40.00 लाख रूपये की अधिकतम सीमा से अधिक अनुदान देय है, नीति-2019 के प्रावधान संख्या- 13.1.2 में निर्धारित अनुदान दर 25 प्रतिशत पर अनुदान देय होगा।

(2) अनुदान के लम्बित प्रकरणो के निस्तारण हेतु बजट घोषणा 2022-23 की दिनांक 23.02.2022 के पष्चात् आयोजित सभी डीएलएससी एवं एसएलएससी में स्वीकृत होने वाली सभी परियोजनाओं पर यह प्रावधान लागू होगा।

(3) राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयो पर अनुदान मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24 अथवा 100 इकाईया स्थापित होने की अवधि, जो भी पहले हो तक देय होगा।

(4) कृषक, उनके संगठन को अनुदान नीति-2019 के प्रावधान संख्या- 13.1.1 के अनुसार देय होगा।

(5) मिशन में निर्धारित इकाईयों का लक्ष्य प्राप्ति उपरान्त सभी लम्बित आवेदनों पर अनुदान की दर नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

4 (अ) (ब) सभी श्रेणी (कृषक, उनके संगठन एवं इनके अतिरिक्त अन्य पात्र व्यक्ति) के आवेदकों को बजट 2022-23 मे घोषित राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु अनुदान; (1.1) लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां; अनार के लिए बाड़मेर एवं जालौर; संतरे के लिए झालावाड, भीलवाड़ा; टमाटर व आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में स्थापित होने वाली के आवेदकों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाई को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक) का अनुदान देय होगा। परन्तु यह अनुदान मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24 जो भी पहले हो तक के लिए देय होगा।

(1.2) उप प्रावधान 1 मे देय अनुदान के लम्बित प्रकरणो के निस्तारण हेतु बजट घोषणा 2022-23 की दिनांक 23.02.2022 के पश्चात आयोजित सभी डीएलएससी एवं एसएलएससी में स्वीकृत होने वाली सभी परियोजनाओं पर यह प्रावधान लागू होगा।

(2.1) जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रूपये का अनुदान देय होगा।

परन्तु यह अनुदान मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24 जो भी पहले हो तक देय होगा।

(2.2) मिशन के अन्तर्गत स्थापित होने वाले जीरा एवं ईसबगोल की उक्त इकाईयों के लिए अनुदान हेतु पृथक से प्रक्रिया का निर्धारण राज्य स्तरीय द्वारा किया जाएगा।

(2.3) मिशन में निर्धारित इकाईयों का लक्ष्य प्राप्ति उपरान्त सभी लम्बित आवेदनों पर अनुदान की दर नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार देय होगा।''

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।